3/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 03/2017 अनवानी 1–श्योपतराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर 2–सुभाषचन्द्र पुत्र श्री जगदीश 3–देवीलाल पुत्र जगदीश 4–गुडडीदेवी पत्नि जगदीश 5–ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर 2–पृथ्वीराज पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई उपस्थित है अप्रार्थी पृथ्वीराज के अभिभाषक श्री रिछपाल सिंह उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी पृथ्वीराज के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित राजस्व वाद संख्या 13/2016 अनवानी पृथ्वीराज बनाम श्योपतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 251(क) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायलय में लंबित उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए वे भी इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसलिए यदि इसे खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित राजस्व वाद संख्या 13/2016 अनवानी पृथ्वीराज बनाम श्योपतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 251(क) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और प्रार्थीगण भी इस प्रार्थना पत्र कोई कार्यवाही नही चाहते है और इस बाबत उनके द्वारा नॉट प्रैस भी किया है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

458
20-2-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर